

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या-05/स्था0-95/2010(खण्ड).....

पटना/दिनांक.....

जिला पदाधिकारी, कैमूर (भमुआ) से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री दीपक कुमार शर्मा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी भगवानपुर (भमुआ) को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 213 (i) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा 3 में निहित प्रावधानों के तहत अपने कार्यों के अतिरिक्त कर्मनाशा चेकपोस्ट मोहनियाँ (भमुआ) स्थित करारोपण पदाधिकारी के कार्य सम्पादन हेतु एक वर्ष के लिये शक्ति प्रदत्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


ह0/-

प्रधान सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक... 02/09/2013

ज्ञापक:- 4895.

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना, राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना वित्त (वैयक्तिक दावा कोषांग) विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त पटना/जिला पदाधिकारी कैमूर (भमुआ)/जिला परिवहन पदाधिकारी कैमूर (भमुआ)/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पटना। /श्री शंभु शरण करारोपण पदाधिकारी, कर्मनाशा चेकपोस्ट मोहनियाँ (भमुआ)/श्री दीपक कुमार शर्मा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सह करारोपण पदाधिकारी, भगवानपुर (भमुआ) /मोटरयान निरीक्षक, कैमूर (भमुआ) आई0 टी0 मैनेजर, कम्प्युटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार पटना/ परिवहन विभाग के सभी पदाधिकारी/कर्मी एवं संबंधित प्रवर्तन तंत्र/प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।